न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी I/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/3358

आम जनता द्वारा रामनरेश तिवारी पुत्र बच्चीलाल तिवारी निवासी ग्राम इटवॉखास तह. व जिला पन्ना म.प्र.

———— आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना
2. बन्दोवस्त आयुक्त म.प्र. ग्वालियर

——— अनावेदकगण

शासकीय अभिभाषक
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय बन्दोवस्त अधिकारी जिला पन्ना के वर्ष 1980—92 तक कराया गया बन्दोवस्त अभिलेख प्रभावशील नहीं करने के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

आज दि. 24-08-2017 को प्रस्तुत
28-09-17

श्रीमान् न्यायालय,

आवेदक की ओर से निरागनी निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, जिला पन्ना का बन्दोवस्त वर्ष 1980 से 1992 तक किया गया था। जिसके अन्तर्गत पूरे जिले के ग्रामों का नवीन अभिलेख, पुराने अभिलेख मौके की स्थिति एवं प्रस्तुत बिवादों का निराकरण करते हुये तैयार किया गया था। जिसे हल्का पटवारियों को सौंप कर लागू करवाया गया था।

2. यह कि, उपरोक्त प्रकिया के तहत तहसील व जिला पन्ना के ग्राम इटवॉखास का बन्दोवस्त अभिलेख तैयर किया गया था। जो आज तक हल्का पटवारी को नहीं सौंपा गया। इस कारण ग्राम इटवॉखास के समस्त कृषक व आम जनता अभिलेख

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / पन्ना / भू.रा. / 2017 / 3358 **जिला** – पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी किस न्यायालय के प्रकरण कमांक एवं किस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, इसका कोई उल्लेख निगरानी आवेदन में नहीं है। उनके द्वारा संहिता की धारा 48 का आवेदन अवश्य प्रस्तुत किया गया है, परंतु उसमें भी किसी न्यायालय के प्रकरण कमांक एवं आदेश का उल्लेख नहीं है। तर्कों में भी आवेदक अधिवक्ता सही स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। दर्शित परिस्थति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	